न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2010/00001 दायरा दिनांक : 06.08.2010

उनवान

1– श्री नाथू आयु 60 साल । पिसरान नारायण, जाति भील, निवासी ग्राम
2– श्री गोपाल आयु 55 साल । बोलिया बुजुर्ग, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़
.... अपीलांट

बनाम

1– जानकी लाल । पिसरान नारायण, जाति भील, निवासी ग्राम
2– मोहन लाल । बोलिया बुजुर्ग, तहसील पिडावा, जिला झालावाड
3– शोदान सिंह ।
4– कालू लाल ।
5– धापू बाई बेवा रामचन्द्र, जाति भील, निवासी ग्राम बोलिया बुजुर्ग, तहसील पिडावा, जिला झालावाड (राज0)
6– श्री प्रताप वल्द मोती, जाति भील, निवासी ग्राम बोलिया बुजुर्ग, तहसील पिडावा, जिला झालावाड (राज0) मृतक कायम मुकामान –
6/1–चन्द्री बाई बेवा प्रताप, जाति भील, निवासी ग्राम बोलिया बुजुर्ग, तहसील पिडावा, जिला झालावाड (राज0)
.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बी. एल. माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री रमेश सोनी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 02.08.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या – 28/2008 निर्णय दिनांक 20.08.2009 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम मोजा बोलिया बुजुर्ग की आराजी खसरा नं. 622 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा वादी के शामलाती खाते में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा ने अपने आदेश दिनांक 20.08.2009 से वादी का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि मातहत न्यायालय का आदेश कानून के खिलाफ है एवं पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विरूद्ध है जो अपास्त होने योग्य है। मातहत न्यायालय का आदेश एक तरफा है, मनमाना है, परवर्स है एवं केप्रिसियस है जो अपास्त होने योग्य है। आदेश जैर अपील की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए दिनांक 17.09.2009 को प्रार्थना पत्र दिया था जिसकी सत्य प्रतिलिपि दिनांक 25.06.2010 को दी गई जिस पर नकल

2/8/2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

के दिन मुजरे देने पर यह अपील अन्दर मियाद पेश है। अतः अपील स्वीकार फरमाकर मातहत न्यायालय का आदेश अपास्त फरमाते हुए आराजी खसरा नं. 622 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा वाके बोलिया बुजूर्ग अपीलांट के खाते दर्ज की जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराया और अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.07.1989 के निर्णय व डिक्री की इजराय पेश की जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 12 वर्ष से अधिक का समय होने के कारण खारिज कर दिया गया। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा कथन किया कि नारायण की मृत्यु डिक्री के पश्चात् हो गई। वारिसान को जानकारी होने पर इजराय पेश की गयी। हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.1989 का अवलोकन किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री में अपीलांट प्रतिवादी कम 2 एवं प्रतिवादी कम 3 के रूप में पक्षकार थे। अतः सन् 2008 में अपीलांट को जानकारी होने का तथ्य सत्य नहीं माना जा सकता।

दिनांक 17.07.1989 की डिक्री की पालना कराने की मियाद 12 वर्ष तक थी। अपीलांट द्वारा 19 वर्ष पश्चात इजराय पेश की गयी। अपीलांट उक्त दिनांक 17.07.1989 के निर्णय में प्रतिवादी कम 2 व प्रतिवादी कम 3 के रूप में पक्षकार होने से 2008 में जानकारी होने का तथ्य मान्य नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित एवं विधिसम्मत प्रकट होता है। अपील सारहीन होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.08.2009 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा